<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज।</u>
<u>द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः- 2714/2026</u>
UPAD010072752026

आशीष गौतम उर्फ अरविन्द कुमार पुत्र रामदुलार गौतम, निवासी– मुंगरी, करछना, जनपद प्रयागराज।
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
.....अभियोगी

मु.अ.सं.– 191/2023
धारा– 364, 302, 201, 34 भा.दं.सं.
थाना– करछना, जनपद– प्रयागराज।

1. आवेदक/अभियुक्त आशीष गौतम उर्फ अरविन्द कुमार की ओर से मु.अ.सं.– 191/2023, धारा– 364, 302, 201 सपठित धारा 34 भा.दं.सं., थाना– करछना, जनपद– प्रयागराज में द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा गुलाबकली द्वारा थाना करछना, जनपद प्रयागराज में दिनांक 09.06.2023 को समय 14.44 बजे इस आशय का मुकदमा कायम कराया कि उसकी पुत्री राजकेसर चौधरी को दिनांक 24.05.2023 को समय सायं लगभग 06.00 बजे आशीष गौतम के मोबाइल नं. 8299741886 से उसकी पुत्री राजकेशर के मोबाइल नं. 8542816232 पर फोन आया कि तुम हमारे पास आ जाओ, हमारी शादी की बात चल रही है, हम कर लेंगे। वादिनी ने अपनी पुत्री के मोबाइल पर फोन किया तब उसका फोन बन्द मिला जिससे उसने एक प्रार्थनापत्र दिनांक 26.05.2023 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाने पर दिया। अग्रेतर यह भी कथन किया है कि वादिनी को कुछ लोगों से जानकारी हुयी तो पता चला कि उसकी लड़की लिव इन रिलेशन में दिनांक 20.06.2023 तक रही है और अभियुक्त आशीष ने उसकी पुत्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया था। वादिनी की पुत्री अभियुक्त से शादी की बात कहती तो बहाना बनाता और कहता कि हम लोग अगली फरवरी 2024 में शादी करेंगे ज्यादा दबाव करोगी तो जान से मारकर फेंक देंगे तथा वादिनी को आशंका है कि उसकी पुत्री की हत्या न कर दी गयी हो। विवेचक द्वारा अभियुक्त आशीष गौतम उर्फ अरविन्द कुमार व अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 364, 302, 201 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह उसका द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय से दिनांक 20.01.2024 को निरस्त किया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उसकी द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र को दिनांक 02.09.2025 को स्वीकार किया गया। आवेदक/अभियुक्त की द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार हो जाने के पश्चात वादिनी मुकदमा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव टू अपील (फौजदारी) संख्या 19385/2025 प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 को निरस्त कर दिया गया। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 16 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है परन्तु विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और प्रस्तुत प्रकरण के सहअभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में मात्र पांच साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, अभियुक्त लगभग 928 दिनों से जिला कारागार में निरुद्ध है तथा जेल में निरुद्ध रहने के कारण उसके दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। आवेदक/अभियुक्त उचित धनराशि की जमानत देने के लिए तैयार है, जमानत पर छूटने पर उसका दुरूपयोग नहीं करेगा तथा जमानत

की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजकगण, दाण्डिक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर वादिनी मुकदमा की पुत्री का अपहरण करके हत्या करने व साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर उसे विलोपन करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन करेगा तथा उसके फरार होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में यह परिलक्षित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 364, 302, 201 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर वादिनी मुकदमा की पुत्री जिसके साथ उसका शारीरिक सम्बन्ध था को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर उसकी हत्या कारित किये जाने व साक्ष्य का विलोपन किये जाने का प्रथम दृष्टया आरोप अभिकथित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र में कोई नवीन आधार नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त जघन्य एवं गम्भीर प्रकृति का है, अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण-दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त का जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार अपर्याप्त है तथा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आशीष गौतम उर्फ अरविन्द कुमार की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2714/2026, मु.अ.सं.– 191/2023, धारा– 364, 302, 201 सपठित धारा 34 भा.दं.सं., थाना– करछना, जनपद– प्रयागराज निरस्त किया जाता है।

दिनांक– जुलाई 17, 2026

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6278

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.07.17 16:21:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court